



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940
No. 154]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 174(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1073(E) तारीख 30 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें प्रभावित व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गयी थीं। तीस दिन अवधि की समाप्ति के पूर्व आरोप और सुझाव मांगे गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए 30 अक्टूबर, 2018 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और प्रारूप नियमों, उक्त के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विचार किया गया है;

अतः अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 और धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में -

(क) नियम 16 में -

(i) उप-नियम (1) में शब्द और संख्या "प्ररूप 6" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"उपबंध 11 में अनुबद्ध विशिष्टताओं को सुनिश्चित करने के लिए प्ररूप 7 में चिप के बिना एक लेमिनेटिड कार्ड प्रकार अथवा स्मार्ट कार्ड प्रकार के रूप में";

(ii) उप-नियम (2) में "लेमिनेटिड कार्ड प्रकार अथवा स्मार्ट कार्ड प्रकार के चालन अनुज्ञप्ति, ऐसे कार्ड प्रकार अथवा", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्मार्ट कार्ड प्रकार का चालन अनुज्ञप्ति, जैसे";

(iii) उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा;

(ख) नियम 18 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित 'खंड' रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट आकार की छायाप्रति,";

(ग) नियम 32 के 'टिप्पण' में 'खंड 1' के स्थान पर निम्नलिखित 'खंड' रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1. जहां प्ररूप 7 में चिप के बिना लेमिनेटिड कार्ड अथवा स्मार्ट कार्ड प्रकार का चालन अनुज्ञप्ति जारी किया जाता है, वहां दो सौ रूपए का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।";

(घ) नियम 48 में शब्द और संख्या "प्ररूप 23 अथवा प्ररूप 23क" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और आंकड़े रखे जायेंगे;

"उपबंध 11 में अनुबद्ध विशिष्टताओं को सुनिश्चित करने के लिए प्ररूप 23क"

(ङ.) नियम 81 में 'टिप्पण 2' के स्थान पर निम्नलिखित 'टिप्पण' रखा जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण 2. जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र चिप के बिना लेमिनेटिड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है अथवा स्मार्ट कार्ड प्रकार का चालन अनुज्ञप्ति जारी किया जाता है, वहां किराया खरीद अथवा पट्टे या दृष्टि बंधन करार का निरसन किए जाने के पश्चात् नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के सिवाय दो सौ रूपए का अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाएगा।";

(च) "प्ररूप 6" का लोप किया जाएगा;

(छ) "प्ररूप 7" के स्थान पर निम्नलिखित 'प्ररूप' रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 7

[(नियम 16 (1) और (2) देखें]

चालन अनुज्ञप्ति के लिए प्ररूप (चिप के बिना लेमिनेटिड कार्ड अथवा स्मार्ट कार्ड)

दृश्य (दृष्टिक) निरीक्षण जोन

2. विशिष्टताएं

(क) कार्ड का आकार – 85.6 एमएम x 54.02 एमएम +/- 2 एमएम; न्यूनतम मोटाई 0.7 एमएम							
(i) कार्ड या तो बिना चिप वाले लेमिनेटिड कार्ड के प्ररूप में; अथवा आईएसओ/आईईसी 7816- भाग 1, 2, 3, 4, 8 और 9, आईएस16695 (भाग 1: 2018) स्मार्ट कार्ड टेम्पलेट आर्किटेक्चर भाग 1 : बेसिक कमांड सेट (जिसे सामान्य तौर पर एससीओएसटीए कांटेक्ट स्मार्ट कार्ड) की अनुपालना में आईसीसी (इंटीग्रेटिड सर्किट कार्ड) के प्ररूप में परिभाषित टेम्पलेट के अनुसार; अथवा							
(ii) आईएसओ/आईईसी 14443- भाग 1, 2, 3 और 4, आईएसओ/आईईसी 7816- भाग 4, 8 और 9, आईएस16695 (पार्ट 1: 2018) स्मार्ट कार्ड टेम्पलेट आर्किटेक्चर पार्ट 1 : बेसिक कमांड सेट (जिसे सामान्य तौर पर एससीओएसटीए कांटेक्टलेस स्मार्ट कार्ड) की अनुपालना में तथा आईएसओ/आईईसी 7810 आईडी-1 मानक की अनुपालना में कार्ड डायमेंशंस सहित पीआईसीसी (प्रोक्सिमिटी इंटीग्रेटिड सर्किट कार्ड), यदि उपबंध किया गया हो।							
(ख) फॉट प्रकार और आकार विशिष्टियां							
सामने की तरफ				पीछे की तरफ			
क्र.सं.	विशेषताएं	फॉट का नाम	आकार	क्र.सं.	विशेषताएं	फॉट का नाम	आकार
1.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कोड	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	1.	चालन अनुज्ञप्ति नम्बर	मिरियाड प्रो बोल्ड	8 पीटी
2.	राष्ट्रीय प्रतीक	सिम्बल	7.37 एमएम x 12.28 एमएम	2.	क्यूआर कोड (जैसाकि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया)	लागू नहीं	15 एमएम x 15 एमएम
3.	कार्ड हेडर	मिरियाड प्रो बोल्ड	9 पीटी	3.	अवैध मालवाहक वाहन# (रजिस्ट्रीकरण संख्या)	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी
4.	चालन अनुज्ञप्ति संख्या	मिरियाड प्रो बोल्ड	9 पीटी	4.	जोखिम वैधता#	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी
5.	आईसी चिप (यदि विकल्प चुना जाए)	लागू नहीं	लागू नहीं	5.	पर्वतीय वैधता#	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी
6.	जारी करने की तारीख	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	6.	वाहन की श्रेणी तालिका (वाहन की श्रेणी, कोड, द्वारा जारी, जारी करने की तारीख, वाहन की श्रेणी, बैज संख्या, बैज संख्या#, बैज जारी करने की तारीख#, द्वारा बैज जारी किया गया#)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5 पीटी

7.	वैधता (एनटी)	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	7.	आपातकालीन सम्पर्क नम्बर	मिरियाड प्रो रेगुलर	6 पीटी				
8.	वैधता (टीआर)#	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	8.	अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी	मिरियाड प्रो रेगुलर	6 पीटी				
9.	नाम	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	9.	नियम 16 (2) का प्रपत्र 7	मिरियाड प्रो रेगुलर	6 पीटी				
10.	जन्म तिथि	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी								
11.	रक्त समूह	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी								
12.	अंग दाता	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी								
13.	का पुत्र/पुत्री/पत्नी	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी								
14.	पता	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी								
15.	प्रथम बार जारी की तारीख	मिरियाड प्रो रेगुलर	6 पीटी								
16.	धारक के हस्ताक्षर	मिरियाड प्रो रेगुलर	5 पीटी								
17.	फोटो	लागू नहीं	14.82 एमएम x 14.82 एमएम								
# : जहां लागू न हो अथवा तत्संबंधी विकल्प न चुने जाने पर लेबल और मूल्य दोनों को ही रिक्त रखा जाएगा।											

(ग) पृष्ठभूमि रंग ब्योरा					
सामने की तरफ			पीछे की तरफ		
क्र.सं.	हेक्स कोड	प्रिंट कलर	क्र.सं.	हेक्स कोड	प्रिंट कलर
सी1.	#f8951d	सी: 0 एम: 49 वाई: 100 के:0	सी 1.	#ddf1fa	सी:12 एम: 1 वाई:1 के:0
सी 2.	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: #e7f5f5 बॉटम:#a3daf7	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष:सी:8 एम: 0 वाई:3 के:0 बॉटम:सी:33 एम: 1 वाई:0 के:0	सी 2.	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: #e7f5f5 बॉटम:#a3daf7	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: सी:8 एम: 0 वाई:3 के:0 बॉटम:सी:33 एम:1 वाई:0 के:0
सी 3.	#edf8fc	सी:6 एम: 0 वाई:1 के:0	सी 3.	#edf8fc	सी:6 एम: 0 वाई:1 के:0

मशीन द्वारा पढ़े जाने वाला भाग (केवल स्मार्ट कार्ड का विकल्प चुनने पर ही लागू)

संबंधित राज्य सरकारें मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले भाग में अनुज्ञप्ति की निम्नलिखित विशेषताओं का उपबंध करेंगी, अर्थात :-

क्र.सं.	फील्ड
1.	चालन अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति का ब्यौरा :
	चालन अनुज्ञप्ति नम्बर (डीएल)
	चालन अनुज्ञप्ति धारक का नाम
	चालन अनुज्ञप्ति धारक का पूरा नाम
	लिंग
	संरक्षक (माता/पिता/पति) का नाम
	संरक्षक के साथ संबंध (अर्थात : पुत्र, पत्नी, पुत्री)
	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	प्रथम पहचान चिन्ह
	द्वितीय पहचान चिन्ह
	रक्त समूह
	मोबाइल नम्बर
	ई-मेल आईडी :
	वैकल्पिक मोबाइल नम्बर
	आपात स्थिति में सम्पर्क किए जाने वाला नम्बर
	स्थायी पता
	स्थायी पते का पिनकोड
	स्थायी पते में राज्य कोड
	स्थायी पते में जिले का नाम
	स्थायी पते में उप-मंडल/तालुका का नाम
	स्थायी पते में ग्राम का नाम
	वर्तमान पता
	वर्तमान पते में राज्य कोड
वर्तमान पते का पिनकोड	
वर्तमान पते में जिले का नाम	
वर्तमान पते में उप-मंडल/तालुका का नाम	
वर्तमान पते में ग्राम का नाम	
2.	अनुज्ञप्ति का ब्यौरा :
	से वैध (परिवहन) (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	तक वैध (परिवहन) (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	से वैध (गैर-परिवहन) (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	तक वैध (गैर-परिवहन) (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
चालन अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रथम तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)	

	प्रथम (मूल) जारी करने वाला प्राधिकारी
	जोखिम वैधता की तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	पर्वतीय क्षेत्र वैधता की तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	उस प्राधिकारी का नाम जिसने परिवहन प्राधिकार जारी किया था
	परिवहन प्राधिकार संख्या
	परिवहन प्राधिकार तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	अवैध मालवाहक वाहन रजिस्ट्रीकरण संख्या
	अवैध मालवाहक द्वितीय वाहन रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि कोई हो
	अवैध मालवाहक तृतीय वाहन रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि कोई हो
3.	वाहन की श्रेणी का ब्यौरा :
	वाहन की श्रेणी (सीओवी)
	वाहन की श्रेणी जारी करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	वाहन की श्रेणी – द्वारा जारी की गई (नाम और पदनाम)
	बैज संख्या
	बैज जारी करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	द्वारा बैज जारी किया गया – एलए कार्यालय
4.	चित्र ब्यौरा :
	चालन अनुज्ञप्ति धारक का छायाचित्र
	चालन अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर
5.	प्रवर्तन ब्यौरा :
	चालान/इनवार्ड संख्या
	चालान की तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	पृष्ठांकन प्राधिकारी की आईडी
	पृष्ठांकन प्राधिकारी का नाम
	उल्लंघन किया गया नियम/धारा
	अनर्हता प्रकार (निलम्बन/निरस्त)
	से अनर्हता अवधि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	तक अनर्हता अवधि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	निलंबित किए गए/निरस्त किए गए वाहन की श्रेणी
	निपटान तारीख
	समीक्षा तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	समीक्षा प्राधिकारी का नाम
	टिप्पणी :-

(ज) 'प्ररूप 23' का लोप किया जाएगा ;



(झ) 'प्ररूप 23 क' के स्थान पर निम्नलिखित 'प्ररूप' रखा जाए, अर्थात :-

“प्ररूप 23 क**[नियम 48 देखें]**

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (चिप के बिना लेमिनेटिड कार्ड अथवा स्मार्टकार्ड)


दृश्य (दृष्टिक) निरीक्षण जोन

1.(क). कार्ड में सामने की तरफ डिजाइन में दृश्य प्ररूप में निम्नलिखित डाटा सम्मिलित होंगे :-


Indian Union Vehicle Registration Certificate Issued by XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XY	AB
	Regn. Number XXXXXXXXXX	Date of Regn. DD-MM-YYYY	Regn. Validity* DD-MM-YYYY
	Chassis Number XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Owner Serial	XX
	Engine / Motor Number XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Owner Name XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Son / Wife / Daughter of (In case of Individual Owner) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Fuel XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Address XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Emission Norms XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Card Issue Date (DD-MM-YYYY)

(ख). कार्ड की पीछे की तरफ डिजाइन में दृश्य प्ररूप में निम्नलिखित डाटा सम्मिलित होंगे -

Vehicle Class: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXX)		XY	AB
Regn. Number XXXXXXXXXX	Maker's Name XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Model Name XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Colour XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Body Type XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Seating (in all) / Standing[#] / Sleeper[#] Capacity XXX / XXX / XXX		
Month-Year of Mfg. MM-YYYY	Unladen / Laden[#] / Gross Combination[#] Weight (kg) XXXXXX / XXXXXX / XXXXXX		
Number of Cylinders XX	Cubic Capacity / Horse Power(BHP/Kw) XXXXXX / XXXXXX	Wheel Base(mm) XXXXXX	
Number of Axle[#] XX	Financer Name[#] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Form 23A


Registration Authority
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(ii) आईएसओ/आईईसी 14443- पार्ट 1, 2, 3 और 4, आईएसओ/आईईसी 7816-पार्ट 4, 8 और 9, आईएस16695 (पार्ट 1: 2018) स्मार्ट कार्ड टेम्पलेट आर्किटेक्चर पार्ट 1 : बेसिक कमांड सेट (जिसे सामान्य तौर पर एससीओएसटीए कार्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड) की अनुपालना में तथा आईएसओ/आईईसी 7810 आईडी-1 मानक की अनुपालना में कार्ड डायमेंशंस सहित पीआईसीसी (प्रोक्सीमिटी इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड), यदि उपबंध हो।

(ख) फॉट प्रकार और आकार विशिष्टियां

सामने की तरफ				सामने की तरफ			
क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.
1.	श्रेणी (एनटी/टीआर)- एक्सवाई	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	1.	श्रेणी (एनटी/टीआर)- एक्सवाई	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी
2.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कोड-एवी	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	2.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कोड- एवी	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी
3.	सुनहरा राष्ट्रीय प्रतीक	सिम्बल	7.37 एमएम x 12.28 एमएम	3.	वाहन श्रेणी	मिरियाड प्रो रेगुलर	6 पीटी
4.	कार्ड हेडर	मिरियाड प्रो बोल्ड	8 पीटी	4.	वाहन का प्रकार (उदाहरण के लिए एलएमवी/एचएमवी/एचजीवी इत्यादि)	मिरियाड प्रो रेगुलर	6 पीटी
5.	आईसी चिप (यदि विकल्प चुना जाए)	लागू नहीं	लागू नहीं	5.	रजिस्ट्रीकरण संख्या	मिरियाड प्रो रेगुलर	6 पीटी
6.	ईंधन	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	6.	क्यूआर कोड (केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्देशन के अनुसार)	लागू नहीं	15 एमएम x 15 एमएम
7.	उत्सर्जन मानक	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	7.	विनिर्माण का माह और वर्ष	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
8.	रजिस्ट्रीकरण संख्या	मिरियाड प्रो बोल्ड	7 पीटी	8.	सिलेंडरों की संख्या	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
9.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	मिरियाड प्रो बोल्ड	7 पीटी	9.	एक्सल की संख्या#	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
10.	रजिस्ट्रीकरण की वैधता* (परिवहन/वाणिज्यिक वाहन के लिए "फिटनेस के अनुसार" मुद्रित किया जाएगा)	मिरियाड प्रो बोल्ड	7 पीटी	10.	विनिर्माता का नाम	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5pt
11.	चेसिस नम्बर	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	11.	मॉडल का नाम	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
12.	इंजन/मोटर नम्बर	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	12.	रंग	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी

13.	मालिक का नाम	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	13.	बाँडी प्रकार	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
14.	का पुत्र/पुत्री/पत्नी (पृथक मालिक के मामले में)	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	14.	बैठने की (कुल) क्षमता	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
15.	पता	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	15.	स्टैंडिंग क्षमता#	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
16.	कार्ड जारी करने की तारीख	मिरियाड प्रो रेगुलर	6 पीटी	16.	स्पीपर क्षमता#	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
17.	मालिक का क्रमांक	मिरियाड प्रो रेगुलर	7 पीटी	17.	लदान रहित भार (किग्रा.)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
				18.	लदान भार# (किग्रा.)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
				19.	सकल कुल भार# (किग्रा.)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
				20.	क्यूबिक क्षमता (केडब्ल्यू)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
				21.	हार्स पावर (बीएचपी)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
				22.	व्हील बेस (एमएम)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
				23.	फाइनेंसर का नाम#	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
				24.	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पीटी
				25.	फार्म 23 ए	मिरियाड प्रो रेगुलर	6 पीटी

: जहां लागू न हो अथवा तत्संबंधी विकल्प न चुने जाने पर लेबल और मूल्य दोनों को ही रिक्त रखा जाएगा।

(ग) पृष्ठभूमि रंग ब्योरा					
सामने की तरफ			पीछे की तरफ		
क्र.सं.	हेक्स कोड	प्रिंट मीडिया के लिए	क्र.सं.	हेक्स कोड	प्रिंट मीडिया के लिए
सी1.	#44c7f1	सी:60 एम:0 वाई:1 के:0	सी1.	#44c7f1	सी:60 एम:0 वाई:1 के:0
सी2.	#f8951d	सी:0 एम:49 वाई:100 के:0	सी2.	#f8951d	सी:0 एम:49 वाई:100 के:0
सी3.	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: # e7f5f5 बॉटम: #a3daf7	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: सी:8 एम: 0 वाई:3 के:0 बॉटम: सी:33 एम:1 वाई:0 के:0	सी3.	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: # e7f5f5 बॉटम: #a3daf7	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: सी:8 एम: 0 वाई:3 के:0 बॉटम: सी:33 एम:1 वाई:0 के:0

सी4.	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: #ffffff बॉटम: #cbe5ef	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: सी:0 एम: 0 वाई:3 के:0 बॉटम: सी:9 एम: 2वाई : 3 के:0	सी4.	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: #ffffff बॉटम: #cbe5ef	ग्रेडिएंट कलर शीर्ष: सी:0 एम: 0 वाई:3 के:0 बॉटम: सी:9 एम:2 वाई:3 के:0
------	--	---	------	--	---

मशीन द्वारा पढ़े जाने वाला भाग (केवल स्मार्ट कार्ड का विकल्प चुनने पर ही लागू)

संबंधित राज्य सरकारें मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले भाग में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की निम्नलिखित विशेषताओं का प्रावधान करेंगी, अर्थात :-

क्र.सं.	क्षेत्र
1.	रजिस्ट्रीकरण ब्यौरा :
	रजिस्ट्रीकरण संख्या
	रजिस्ट्रीकरण की तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	क्रय की तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार (एन, ए, ओ, डी)
	रजिस्ट्रीकरण वैधता (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	(परिवहन/वाणिज्यिक वाहन के लिए "फिटनेस के अनुसार" अंकित किया जाए)
	डीलर का नाम
	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम
2.	व्यक्तिगत ब्यौरा :
	मालिक का नाम
	का पुत्र/पत्नी/पुत्री (यदि पृथक स्तर पर हो)
	मालिक का वर्तमान पता
	मालिक का स्थायी पता
	मालिक की क्रमांक संख्या
	स्वामित्व प्रकार
3.	वाहन का ब्यौरा:
	वाहन की श्रेणी
	निर्माता/विनिर्माता
	मॉडल
	सिलेंडर की संख्या
	हार्स पावर (फार्मेट 99999.99)
	बैठने की क्षमता
	स्टैंडिंग क्षमता
	स्पलीपर क्षमता
	लदान रहित भार (किग्रा.)
	लदान भार (किग्रा.)
	सकल कुल भार, यदि लागू हो (किग्रा.)
	व्हीलबेस (एमएम)

	क्यूबिक क्षमता (फार्मेट 99999.99)
	फ्लोर एरिया (वर्ग मीटर) (फार्मेट 999.999)
	ईंधन
	चेसिस नम्बर
	इंजन नम्बर
	बॉडी का प्रकार
	रंग
	विनिर्माण का माह और वर्ष (माह/वर्ष)
	विक्रय राशि
	उत्सर्जन मानक
	ऊंचाई (एमएम)
	लम्बाई (एमएम)
	चौड़ाई (एमएम)
	एसी फिटिड (हां/नहीं)
	विडियो फिटिड (हां/नहीं)
	आडियो फिटिड (हां/नहीं)
4.	परिवहन यान का एक्सल ब्यौरा :
	एक्सल की संख्या
	टायर की संख्या – फ्रंट एक्सल
	टायर की संख्या – रियर एक्सल
	टायर की संख्या – टेंडेम एक्सल
	टायर की संख्या – अन्य एक्सल
	फ्रंट एक्सल (टायर का विवरण और आकार)
	रियर एक्सल (टायर का विवरण और आकार)
	टेंडेम एक्सल (टायर का विवरण और आकार)
	अन्य एक्सल (टायर का विवरण और आकार)
	फ्रंट एक्सल भार (किग्रा.)
	रियर एक्सल भार (किग्रा.)
	टेंडेम एक्सल भार (किग्रा.)
	अन्य एक्सल भार (किग्रा.)
	ओवरहेंग
	रियरहेंग
5.	संलग्न ट्रेलर/सेमी-ट्रेलर का अतिरिक्त ब्यौरा (यदि लागू हो) :
	संलग्न सेमी-ट्रेलर की संख्या
	संलग्न ट्रेलर की रजिस्ट्रीकरण संख्या
6.	लिकड हार्स वाहन सं. का अतिरिक्त ब्यौरा (यदि यह आरसी सेमी-ट्रेलर/ट्रेलर की हो) :
	हार्स वाहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि लागू हो
7.	हाइपोथिकेसन ब्यौरा*3 :
	फाइनेंसर का नाम

8.	चालान विवरण*40 :
	चालान संख्या.
	आरोपित श्रेणी (डी-चालक, सी-परिचालक, ओ-मालिक)
	धारा (धाराएं) (यदि 1से अधिक हों तो डिलिमिटर के साथ केवल कोड)
	चैलेंज करने वाले अधिकारी का नाम
	स्थान
	चालान की तारीख और समय, दिन/माह/वर्ष तथा घंटे/मिनट प्ररूप में
	निपटान अधिकारी का नाम
	शास्ति
	रसीद संख्या
9.	स्थायी अनुमति-पत्र ब्यौरा :
	अनुमति-पत्र संख्या
	अनुमति-पत्र का प्रकार (विवरण)
	अनुमति-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम
	से वैध (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	तक वैध (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	प्रतिस्थापन तारीख (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)
	क्षेत्र (अर्थात् स्थानीय, जिला, क्षेत्र, राज्य इत्यादि)
	से रूट (मार्ग)
	तक रूट
	चरण
	मार्ग की लम्बाई (कि.मी.)
	प्रतिदिन आवाजाही (ट्रिप)
10.	उल्लिखित वाहन (यथा-उल्लिखित वाहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या) के साथ पंजीकृत अतिरिक्त अथवा वैकल्पिक सेमी-ट्रेलर (ट्रेलर्स) का ब्यौरा :
	बॉडी प्रकार
	लदान रहित भार (किग्रा.)
	लदान युक्त भार (किग्रा.)
	चेसिस नम्बर
	फ्रंट एक्सल (संख्या, टायर का विवरण और आकार)
	रियर एक्सल (संख्या, टायर का विवरण और आकार)
	टेंडेम एक्सल (संख्या, टायर का विवरण और आकार)
	अन्य एक्सल (संख्या, टायर का विवरण और आकार)
	फ्रंट एक्सल भार (किग्रा.)
	रियर एक्सल भार (किग्रा.)
	टेंडेम एक्सल भार (किग्रा.)
	अन्य एक्सल भार (किग्रा.)
11.	रिट्रो फिटिंग ब्यौरा :
	क्रिट विनिर्माता

किट का प्रकार
किट कार्यशाला
किट सीरियल नम्बर
किट पीयूसीसी मानदंड
कार्यशाला लाइसेंस नम्बर
फिटमेंट तारीख (दिन/माह/वर्ष प्ररूप में)
हाइड्रो परीक्षण तारीख (दिन/माह/वर्ष प्ररूप में)
सिलेंडर सीरियल नम्बर

(ज) 'उपाबंध 11' के स्थान पर निम्नलिखित 'उपाबंध' रखा जाए, अर्थात :-

"उपाबंध 11

[नियम 2, नियम 16 और नियम 48 के खंड (खंडों) को देखें]

1. बिना चिप लेमिनेटिड कार्ड प्रकार अथवा स्मार्ट कार्ड प्रकार के चालन अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विशिष्टताएं -

- (क) समेकित सर्किट कार्ड (आईसीसी, जिसे सामान्यतः कांटेक्ट स्मार्ट कार्ड कहा जाता है) अथवा प्रोक्सीमिटी समेकित सर्किट कार्ड (पीआईसीसी, जिसे सामान्यतः कांटेक्टलेस स्मार्ट कार्ड कहा जाता है)।
- (ख) आईसीसी, आईएसओ/आईईसी 7816-1, 2 और 3 तथा पीआईसीसी, आईएसओ/आईईसी 14443-1, 2, 3 और 4 की अनुपालना में जारी किए जाएंगे।
- (ग) आईसीसी और पीआईसीसी दोनों ही आईएसओ/आईईसी 7816-4, 8 और 9; आईएस-16695 भाग 1, 2018 (जिसे सामान्यतः एससीओएसटीए के नाम से जाना जाता है) की अनुपालना में होंगे।
- (घ) ईईपीआरओएम अथवा फ्लैश के रूप में स्थिर मैमोरी सहित न्यूनतम 10 वर्ष तक डाटा प्रतिधारण।
- (ङ) स्थिर मैमोरी के लिए न्यूनतम 300,000 लेखन चक्र।
- (च) हर्डवेयर (कंट्रोलर) ईएएल 4+ (अथवा इससे अधिक) की अनुपालना और प्रमाणन में होगा और इसके लिए माइक्रोकंट्रोलर (आरओएम आधारित ओएस कार्यान्वयन के मामले में) के मूल्यांकन के सुरक्षा लक्ष्य सहित सामान्य मानदंड प्रमाण-पत्र अथवा बूट लोडर/फ्लैश लोडर/स्मार्ट प्रोग्राम/बूट प्रोग्राम (फ्लैश आधारित ओएस कार्यान्वयन के मामले में) सहित माइक्रोकंट्रोलर, जो सामान्य मानदंड प्रमाण-पत्र के अधीन होगा। सामान्य मानदंड प्रमाण-पत्र का तात्पर्य है बीएसआई-सीसी-पीपी-0035-2007/बीएसआई-सीसी-पीपी-0084-2014 (अथवा नवीनतम) संरक्षण रूप-रेखा।
- (छ) प्रचालन प्रणाली को चिप निर्माता के पूर्ण स्वामित्व वाली सुविधा में जल स्तर तक चिप सहित फ्लैश मैमोरी अथवा आरओएम में लोड किया जाएगा और इसे सुविधा उपकरण में इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे आंशिक तौर पर अथवा पूर्ण तौर पर न तो बदला जा सके, न आशोधित किया जा सके, न मिटाया जा सके या हटाया जा सके।
- (ज) प्रचालन अनुकूल तापमान 25 से. से +55 से. तक होगा।
- (झ) पाली बिनाइल क्लोराइड (पीवीसी) के लिए : ग्लासी सरफेस के लिए पाली बिनाइल क्लोराइड (पीवीसी)/एक्रीलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन (एबीएस)/पेट जी प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन का लेप किया जाना चाहिए ताकि कलर सबलिमेशन प्रिंटिंग हो सके।

- (ज) पालीकार्बोनेट कार्ड के लिए : बिना किसी गोंद अथवा एडहेसिव के ताप और दाब सहित (लेमिनेटिड) शुद्ध पालीकार्बोनेट परत का प्रयोग करते हुए बहु-परत वाले कार्ड का निर्माण। बाह्य परत सहित कार्ड बाडी सामग्री लेजर एनग्रेविंग के माध्यम से स्वयं के उपयोग हेतु उपयुक्त होगा।

II. चालन अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हेतु सामग्री विनिर्देशन -

- (क) **कार्ड के परिमाण (लम्बाई-चौड़ाई)** – चालन अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कार्ड आईडी-1 अप्रयुक्त और वापस लौटाए गए कार्डों के लिए सुपरिभाषित आईएसओ/आईईसी 7810 मानक की अनुपालना में होगा। आईडी-1 कार्डों के लिए सह्यता, किनारों की अस्पष्टता इत्यादि आईएसओ/आईईसी 7810, खंड 5 में यथा परिभाषित के अनुरूप होगी। कार्ड के भी आयामों का मापन आईएसओ/आईईसी 10373-1 में यथा परिभाषित मानक परीक्षण परिस्थितियों के अधीन खंड 5.2 में यथा परिभाषित आईएसओ/आईईसी 10373-1 मानक के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) **कार्ड वारपेज और सतह विरूपण** – कार्ड की 'फ्लैट रिजिड प्लेट' से 'कनवेक्स सरफेस' के किसी भाग तक अधिकतम दूरी कार्ड की मोटाई सहित 1.5 एमएम से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, तैयार कार्ड की अधिकतम और न्यूनतम मोटाई के बीच का अंतर 0.10 एमएम से अधिक नहीं होगी। अधिकतम और न्यूनतम मोटाई का मापन करने के लिए काटेक्ट चिप पर भी विचार किया जाएगा। इस प्रकार, सम्पूर्ण आईसी काटेक्ट सरफेस का कोई भी बिन्दु 0.10 एमएम से ऊपर तथा 0.10 एमएम से नीचे नहीं होगा। यह परीक्षण आईएसओ/आईईसी 10373-1 में यथा वर्णित मानक मापन पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।
- (ग) **कार्ड सामग्री और निर्माण** – कार्ड का निर्माण पालीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी), एकीलोनाइड्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन (एबीएस) अथवा पेट जी या पाली कार्बोनेट प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए। कार्ड का निर्माण आईएसओ 7816-2 की अनुपालना में काटेक्ट चिप (आईसीसी हेतु) का अंतर्वेशन करते हुए बांडिड सामग्रियों की सहायता से किया जाएगा।
- (घ) **कार्ड की विशेषताएं** – कार्ड की विशेषताओं को आईएसओ/आईईसी 7810 मानक में परिभाषित किया जाएगा, जैसाकि यहां रेखांकित किया गया है :-
- (i) वंकन कठोरता - (1). वंकन कठोरता को आईएसओ/आईईसी 7810 मानक में परिभाषित किया जाएगा। इसकी परीक्षण प्रक्रिया-विधियों का ब्यौरा आईएसओ/आईईसी 10373-1, खंड 5.7 में दिया गया है। वंकन कठोरता परीक्षण के लिए कार्ड का निम्नलिखित चार विन्यासों में प्रयोग किया जाएगा, अर्थात :-
- (क) अंतःस्थापित चिप ऊपर की ओर तथा कार्ड का किनारा बंधित उपकरण की तरफ करते हुए कार्ड को चिप के नजदीक लाकर।
- (ख) अंतःस्थापित चिप ऊपर की ओर तथा कार्ड का किनारा बंधित उपकरण की तरफ करते हुए कार्ड को चिप से दूर ले जाकर।
- (ग) अंतःस्थापित चिप नीचे की ओर तथा कार्ड का किनारा बंधित उपकरण की तरफ करते हुए कार्ड को चिप के नजदीक लाकर।
- (घ) अंतःस्थापित चिप नीचे की ओर तथा कार्ड का किनारा बंधित उपकरण की तरफ करते हुए कार्ड को चिप से दूर ले जाकर।
- (2) सभी चार विन्यासों में अधिकतम अनुमत्य वंकन विरूपण एक समान होगा।
- (ii) **रसायनों का प्रतिरोधक** – कार्ड आईएसओ/आईईसी 7810, खंड 8.4 में यथा-उल्लिखित रसायनों का प्रतिरोधक होगा। रसायन प्रतिरोध की जांच अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक संदूषण के लिए रिएजेंट्स का प्रयोग करते हुए आईएसओ/आईईसी 10373-1, खंड 5.4 में रेखांकित प्रक्रिया-विधि के अनुसार की जाएगी।
- (iii) **भंडारण अपेक्षाएं** - (1). दस्तावेज के इस खंड में यथा-उल्लिखित कार्ड की विशेषताएं भंडारण अपेक्षाओं के तौर पर निम्नलिखित ताप और आर्द्रता परिस्थितियों में अपरिवर्तित होगी, अर्थात :-

(क) तापमान रेंज - 5-40°से।

(ख) सापेक्ष आर्द्रता रेंज - 10-85 प्रतिशत।

(2). कार्ड की वंकन कठोरता का परीक्षण इसे निम्नलिखित दो पर्यावरणीय परिस्थितियों में रखते हुए की जाएगी, अर्थात :-

(I) 5°से. तापमान और 10 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता, और

(II) 40°से. तापमान और 85 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता।

(3). इन दो परिस्थितियों में से प्रत्येक के लिए अनावरण हेतु पर्यावरणीय परिस्थिति में कार्ड को एक घंटे के लिए रखा जाएगा। यह परीक्षण केवल कार्ड की विशेषताओं को स्थापित करती है तथा यह मुद्रण संबंधी किसी विशेषता, जिनको आगे परिभाषित किया गया है, को स्थापित नहीं करती है।

(iv) विशलकन सुदृढ़ता – कार्ड सामग्री की संघटक परतों की विशलकन सुदृढ़ता आईएसओ/आईईसी 7810, खंड 8.8 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तर की होगी। विशलकन सुदृढ़ता की जांच 90° विशलकन कोण के साथ आईएसओ/आईईसी 10373-1, खंड 5.4 में रेखांकित प्रक्रिया विधि के अनुसार की जाएगी।

(v) आसंजन प्रतिरोध – (क) जब तैयार कार्डों को 5 कार्डों के स्टॉक में एक साथ रखा जाता है और ऊपर 1.5 किलोग्राम का निबल भार रखा जाता है और इन्हें 7 दिन तक $40 \pm 3^{\circ}$ से. ताप, 80 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता पर रखा जाता है, तो कोई भी कार्ड पर कोई प्रतिकूल प्रभाव जैसे लेमिनेशन हटना, रंग उड़ना अथवा साथ के कार्डों पर रंग अंतरित होना, सतही परिवर्तन होना, एक कार्ड से दूसरे कार्ड तक सामग्री अंतरित होना और विरूपण नहीं होगा। सभी कार्डों के भौतिक आयाम इस दस्तावेज के खंड 5 में यथा उल्लिखित स्थिति में कायम रहेंगे।

(ख) कार्डों को ढेर के बीच में से यादृच्छिक तरीके से हाथ द्वारा आसानी से अलग करते हुए इनका परीक्षण किया जाएगा तथा रंग अंतरण, रंग उड़ने, सतही बनावट इत्यादि की बनावट में परिवर्तनों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के उपरांत इस दस्तावेज में उल्लिखित सीमाओं के भीतर कार्डों के आयामों, कार्ड वारपेज और सतही विरूपण की जांच की जाएगी।

(ड) **गत्यात्मक वंकन** - कार्डों की गत्यात्मक वंकन जांच आईएसओ/आईईसी 10373-1, खंड 5.8 में रेखांकित प्रक्रिया-विधि के अनुसार की जाएगी। आईएसओ/आईईसी 10373-1 में यथा परिभाषित एचवी और एचडब्ल्यू पैरामीटर्स (अर्थात एक्सिस वी के साथ वंकन हेतु 2 एमएम और 20 एमएम तथा एक्सिस ए के साथ वंकन हेतु 1 एमएम और 10 एमएम) का प्रयोग किया जाएगा। एक्सिस ए और एक्सिस वी प्रत्येक के साथ 250 वंकन सहित की गई जांच के उपरांत कार्ड इलेक्ट्रॉनिक तौर पर कार्य करना जारी रखेगा तथा ऊपर एवं नीचे की तरफ कार्ड कांटेक्ट्स यथावत बने रहेंगे। निम्नलिखित के लिए कार्डों की परीक्षण 1000 वंकन चक्र के उपरांत की जाएगी, अर्थात :-

(i) कार्ड के आयाम।

(ii) कार्ड वारपेज और सतह विरूपण।

(iii) आईएसओ 7816-3 के अनुरूप इंटरफेस डिवाइस (आईएफडी) अथवा आईएसओ 14443-4 अनुरूप प्रोक्सीमिटी कपलिंग डिवाइस (पीसीडी), यथास्थिति, के अंतर्वेशन के उपरांत आंसर टू रिसेट (एटीआर) अथवा आंसर टू सेलेक्ट (एटीएस) की उपस्थिति।

(iv) आईसीसी हेतु सभी कांटेक्ट पेड के लिए कांटेक्ट प्रतिरोध सीमाओं के भीतर होगा।

- (च) **गत्यात्मक मरोड तनाव** – कार्डों का आईएसओ/आईईसी 10373-1, खंड 5.9 में यथा-रेखांकित गत्यात्मक मरोड तनाव परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए पैरामीटर्स आईएसओ/आईईसी 10373-1 में यथा-उल्लिखित लागू होंगे। चक्रीय मरोड तनाव अनुप्रयोग के उपरांत कार्डों की निम्नलिखित परीक्षण किया जाएगा, अर्थात् :-
- (i) कार्ड का आयाम।
 - (ii) कार्ड वारपेज और सतही विरूपण।
 - (iii) आईएसओ 7816-3 के अनुरूप इंटरफेस डिवाइस (आईएफडी) अथवा आईएसओ 14443-4 अनुरूप प्रोक्सीमिटी कपलिंग डिवाइस (पीसीडी), यथास्थिति, के अंतर्वेशन के उपरांत आंसर टू रिसेट (एटीआर) अथवा आंसर टू सेलेक्ट (एटीएस) की उपस्थिति।
 - (iv) आईसीसी हेतु सभी कांटेक्ट पेड के लिए कांटेक्ट प्रतिरोध सीमाओं के भीतर होगा।
- (छ) **यूवी में रखे जाने पर स्थिरता** – कार्ड सामग्री की पूर्व मुद्रित परत में निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत मुद्रण गुणवत्ता में कोई दृष्टिकोचर क्षय नहीं होगा, अर्थात् :-
- (i) 254 एनएम वेवलेंथ पर 0.12 एमडब्ल्यू/एमएम² की यूवी इर्रेडिएंस के अधीन 21 मिनट तक यूवी प्रकाश में रखे जाने पर।
 - (ii) कार्ड को आईएसओ/आईईसी 10373-1, खंड 5.11 में यथा-परिभाषित परीक्षण प्रक्रिया-विधि के अनुसार ऐसे यूवी प्रकाश स्रोत में रखा जाएगा। अरक्षित चक्र के उपरांत, कार्ड की निम्नलिखित जांच की जाएगी, अर्थात् :-
 - (क) कार्ड का आयाम।
 - (ख) कार्ड वारपेज और सतह विरूपण।
 - (ग) वंकन कठोरता परीक्षण।
 - (घ) आईसीसी हेतु सभी संविदा के लिए सीमाओं के भीतर संविदा प्रतिरोध।
 - (ङ) पूर्व मुद्रित परतों हेतु दृश्य मुद्रण गुणवत्ता में कोई दृष्टिकोचर क्षय, रंग उड़ना, सतह की बनावट में बदलाव अथवा लेमिनेशन हटना, नहीं होगा।
- (ज) **मुद्रण गुणवत्ता** - (क) पूर्व मुद्रित परतों के दृश्य आभास हेतु मुद्रण का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई दृष्टिकोचर क्षय, रंग उड़ने, सतही बनावट में बदलाव, सतही रंगों में परिवर्तन और अवांछित रंग चिन्ह का उभार नहीं होना चाहिए, अर्थात् :-
- (i) 10 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के साथ 0°से. तापमान।
 - (ii) 90 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के साथ 46°से. तापमान।
- (ख) तापमान और सापेक्ष आर्द्रता पर्यावरण नियंत्रण चैम्बर्स में उत्पन्न की जाएगी और कार्डों को समदृश्य पर्यावरण परिस्थितियों में 20 मिनट तक रखा जाएगा। कार्डों को ऐसी परिस्थितियों में रखे जाने के उपरांत कार्ड सामग्री की पूर्व मुद्रित परतों संबंधी मुद्रण गुणवत्ता का दृश्य निरीक्षण किया जाएगा।
- (झ) **इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट्स (केवल आईसीसी अथवा कांटेक्ट स्मार्ट कार्डों के लिए लागू)** - (1) कार्डों में आईएसओ/आईईसी 7816-2 में यथा उल्लिखित स्थानों पर निम्नलिखित संविदा प्रदान की जाएगी, अर्थात् :-
- (i) सी1 : विद्युत आपूर्ति इनपुट (वीसीसी)।
 - (i) सी2 : रिसेट सिग्नल इनपुट (आरएसटी)।
 - (ii) सी3 : क्लॉक सिग्नल इनपुट (सीएलके)।

- (iii) सी5 : ग्राऊंड (जीएनडी)।
- (iv) सी7 : बाइडायरेक्शनल सीरियल डाटा (आई/ओ)।
- (2). इनमें से प्रत्येक कांटेक्ट के लिए अधिकतम और न्यूनतम वर्तमान तथा संभावित स्थितियों को आईएसओ/आईईसी 7816-3 में यथा परिभाषित किया गया है।
- (ज) **कार्ड कांटेक्ट्स की यांत्रिक सुदृढ़ता (केवल आईसीसी, अथवा कांटेक्ट स्मार्ट कार्डों के लिए लागू) -** (i) कार्ड अपनी सतह पर क्षय, इसमें निहित किसी संघटक का प्रतिरोधी होना चाहिए, और यह सामान्य उपयोग, भण्डारण तथा रख-रखाव के दौरान सुरक्षित रहना चाहिए।
- (ii) प्रत्येक कांटेक्ट सतह तथा कांटेक्ट क्षेत्र (सम्पूर्ण गैलवैनेनिक सतह) 1 एमएम व्यास की स्टील गेंद के समकक्ष कार्यगत दाब और 1.5 एन का बल लगाए जाने पर क्षतिग्रस्त नहीं होगी।
- (iii) यह परीक्षण आईएसओ 7816-3 अनुपालना रीडर में एटीआर की मौजूदगी हेतु कार्ड कार्यात्मक होने के लिए यथा उल्लिखित 5 मिनट तक उपर्युक्त दबाव डालकर की जाएगी।
- (ट) **कार्ड कांटेक्ट्स का इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध (केवल आईसीसी, अथवा कांटेक्ट स्मार्ट कार्डों के लिए लागू) -** कार्ड कांटेक्ट पैड, जैसाकि आईएसओ/आईईसी 7816-2 में परिभाषित किया गया है, का कांटेक्ट प्रतिरोध एक ही कांटेक्ट पैड से 1.5 एमएम की दूरी पर दो बिन्दुओं के बीच 0.5 Ω से कम होना चाहिए। कार्ड की सभी पांच कांटेक्ट की परीक्षण कांटेक्ट के भीतर स्थलों पर इस दस्तावेज के खंड 13 में किए गए विनिर्देशन के अनुसार की जाएगी।
- III. **तैयार किए गए कार्ड की सतह पर मुद्रण हेतु विनिर्देशन - (क) तैयार कार्डों पर मुद्रण हेतु अपेक्षाएं -** तैयार कार्ड इस दस्तावेज में रेखांकित किए गए विनिर्देशनों के अनुसार होंगे। तैयार कार्ड तदुपरांत वैयक्तीकरण के अध्यक्षीन होंगे - कार्ड सतह पर इलेक्ट्रॉनिक और दृश्य। ये परीक्षण कार्ड की सतह पर मुद्रण के उपरांत किए जाएंगे - दृश्य वैयक्तीकरण हेतु इस क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले मानक कार्ड प्रिंटर्स का उपयोग करते हुए ऊपरी सिरे तथा निचले भाग दोनों पर। परीक्षण हेतु पाठ और फोटोग्राफ का मुद्रण चालन अनुज्ञप्ति और वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की विशिष्ट शैली तथा इसके लिए दृश्य विन्यास में यथा विनिर्देशन में होगा।
- (ख) स्याही आसंजन - (i) कार्डों पर वैयक्तिक मुद्रण निम्न संकेतकों के अनुरूप बेहतर गुणवत्ता वाली स्याही आसंजन के अध्यक्षीन होगा। -टीएम-आसंजन टेप परीक्षण हेतु आईपीसी :संदर्भ)650 परीक्षण पद्धति संख्या 2.4.1)।
- (ii) परीक्षण पद्धति में यथा उल्लिखित टेप और प्रक्रिया-विधि सहित मूल्यांकन किया जाएगा। निम्नलिखित ग्रेड में नमूने के स्याही आसंजन कार्य निष्पादन के परीक्षण हेतु उपयोग किए गए टेप और परीक्षण क्षेत्र की दृश्य परीक्षण की जाएगी, अर्थात :-
- ग्रेड 1 :** स्याही किसी प्रकार से हटनी नहीं चाहिए (टेप हटाए जाने पर उस पर स्याही का कोई निशान नहीं होना चाहिए)।
- ग्रेड 2 :** स्याही का हल्का सा हटना (टेप पर स्याही का निशान होगा परंतु टेप आसंजन की तरफ स्याही की छाप पठनीय नहीं होगी), जो हटाई गई स्याही का 10 प्रतिशत से कम होगा।
- ग्रेड 3 :** स्याही का अत्यधिक हटना (टेप पर स्याही का निशान पठनीय होगा), जो हटाई गई स्याही के 10 प्रतिशत से अधिक होगा।
- (ग) पर्यावरणीय पैरामीटर्स में रखा जाना - (i) दृश्य वैयक्तिकीकृत कार्डों को निम्नलिखित दो पर्यावरणीय परिस्थितियों में रखे जाने के उपरांत इनका स्याही आसंजन परीक्षण किया जाएगा, अर्थात :-
- (क) 10 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता पर 5°से. तापमान; और
- (ख) 85 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता पर 40°से. तापमान।
- (ii) उपर्युक्त प्रत्येक परिस्थिति में एक घंटे तक कार्ड रखा जाएगा और इसके तत्काल बाद स्याही आसंजन परीक्षण किया जाएगा। दोनों ही परीक्षणों में नमूने द्वारा ग्रेड 1 गुणवत्ता दर्शाई जानी चाहिए।
- (घ) **यूवी में रखा जाना -** विजुअली वैयक्तिकीकृत कार्डों को आईएसओ/आईईसी 10373-1, खंड 5.11 में यथा परिभाषित परीक्षण प्रक्रिया-विधि के अनुसार 0.12 एमडब्ल्यू/एमएम2 यूवी इर्राडियंस तथा 254 एनएम

वेवलेंथ पर 21 मिनट तक यूवी प्रकाश में रखा जाएगा। इसके तत्काल बाद, स्याही आसंजन हेतु विजुअल वैयक्तीकीकरण परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में नमूने द्वारा ग्रेड 2 अथवा ग्रेड 1 दर्शाया जाएगा।

- (ड.) **भण्डारण और परतीकरण** – जब विजुअल वैयक्तीकीकृत कार्डों को 5 कार्डों के ढेर में रखा जाता है तथा ऊपर से 1.5 किलोग्राम निबल भार डाले जाने और 2 दिन तक $40 \pm 3^{\circ}\text{से.}$, 80 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता पर रखे जाने पर कार्ड की सतह पर मुद्रण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अर्थात् इसका रंग नहीं उड़ना चाहिए अथवा नजदीकी कार्डों तक रंग अंतरण नहीं होना चाहिए। इस परीक्षण के उपरांत कार्डों की स्याही आसंजन जांच की जाएगी। परीक्षण नमूने में ग्रेड-1 गुणवत्ता दर्शाई जाएगी।

[फा. सं. आरटी-11028/24/2016-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

नोट : प्रमुख नियम, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा और अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 1225(अ) तारीख 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 174(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 1073(E), dated the 30th October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 30th October, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 and section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the 1st day of October, 2019.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,-
 - (a) in rule 16, -
 - (i) in sub-rule (1), for the word and figure “Form 6”, the following shall be substituted, namely:-
“in form of a laminated card type without a chip or Smart Card type in Form 7 conforming to the specifications stipulated in Annexure XI”;
 - (ii) in sub-rule (2), for the words “laminated card type or Smart Card type driving license, such”, the following words shall be substituted, namely:-
“Smart Card type driving license, such”;
 - (iii) sub-rule (3) shall be omitted;
 - (b) in rule 18, in sub-rule(1) for ‘clause (b)’, the following ‘clause’ shall be substituted, namely: -
“(b) applicant’s recent passport size photograph,”;
 - (c) in rule 32, in the ‘Note’, for ‘clause 1’, the following ‘clause’ shall be substituted, namely: -

2. Specifications.-

(a) Card Size - 85.6mm x 54.02 mm +/- 2 mm; Thickness minimum 0.7 mm							
(i) Card in the form of either laminated card type without chip; or							
as per the defined template in the form of ICC (Integrated Circuit Card) compliant to ISO/IEC 7816-Part 1, 2, 3, 4, 8 and 9, IS16695 (Part 1: 2018) Smart Card Template Architecture Part 1: Basic Command Set (commonly known as SCOSTA Contact Smart Card);							
(ii) PICC (Proximity Integrated Circuit Card), if provided, compliant to ISO/IEC 14443- Part 1, 2 3 and 4, ISO/IEC 7816-Part 4, 8 and 9, IS16695 (Part 1: 2018) Smart Card Template Architecture Part 1: Basic Command Set (commonly known as SCOSTA Contactless Smart Card), with card dimensions compliant to ISO/IEC 7810 ID-1 standard.							
(b) Font Style and Size specifications							
Front Side				Reverse Side			
Sr. No.	Features	Font Name	Size	Sr. No.	Features	Font Name	Size
1.	State/UT Code	Myriad Pro Regular	7pt	1.	Driving Licence Number	Myriad Pro Bold	8pt
2.	National Emblem	Symbol	7.37mm x 12.28mm	2.	QR code (As specified by Central Government)	NA	15mm x 15mm
3.	Card Header	Myriad Pro Bold	9pt	3.	Invalid Carriage [#] (Regn. Numbers)	Myriad Pro Regular	7pt
4.	Driving Licence Number	Myriad Pro Bold	9pt	4.	Hazardous Validity [#]	Myriad Pro Regular	7pt
5.	IC Chip (if opted for)	NA	NA	5.	Hill Validity [#]	Myriad Pro Regular	7pt
6.	Issue Date	Myriad Pro Regular	7pt	6.	Vehicle class table (Class of Vehicle, Code, Issued by, Date of Issue, Vehicle Category, Badge Number [#] , Badge Issued Date [#] , Badge Issued by [#])	Myriad Pro Regular	5pt
7.	Validity (NT)	Myriad Pro Regular	7pt	7.	Emergency Contact Number	Myriad Pro Regular	6pt
8.	Validity(TR) [#]	Myriad Pro Regular	7pt	8.	Licensing Authority	Myriad Pro Regular	6pt
9.	Name	Myriad Pro Regular	7pt	9.	Form 7 Rule 16(2)	Myriad Pro Regular	6pt
10.	Date of Birth	Myriad Pro Regular	7pt				
11.	Blood Group	Myriad Pro Regular	7pt				
12.	Organ Donor	Myriad Pro Regular	7pt				
13.	Son/Daughter/ Wife of	Myriad Pro Regular	7pt				
14.	Address	Myriad Pro Regular	7pt				
15.	Date of First Issue	Myriad Pro Regular	6pt				
16.	Holder's Signature	Myriad Pro Regular	5pt				
17.	Photograph	NA	14.82 mm x 14.82 mm				
# : Both Label and Value would be blank in cases where they are not applicable or have not been opted for							

(c) Background Colour Details					
Front Side			Reverse Side		
Sr. No	Hex Code	Print colour	Sr. No.	Hex Code	Print colour
C1.	#f8951d	C: 0 M: 49 Y: 100 K:0	C1.	#ddf1fa	C:12 M: 1 Y:1 K:0
C2.	<u>Gradient Color</u> Top: #e7f5f5 Bottom:#a3daf7	<u>Gradient Color</u> Top:C:8 M: 0 Y:3 K:0 Bottom:C:33 M:1 Y:0 K:0	C2.	<u>Gradient Colour</u> Top: #e7f5f5 Bottom:#a3daf7	<u>Gradient Colour</u> Top: C:8 M: 0 Y:3 K:0 Bottom:C:33 M:1 Y:0 K:0
C3.	#edf8fc	C:6 M: 0 Y:1 K:0	C3.	#edf8fc	C:6 M: 0 Y:1 K:0

MACHINE READABLE ZONE (applicable only if opted for Smart Card)

The concerned State Governments shall provide the following features of the licence in the Machine Readable Zone, namely:-

Sr. No.	Field
1.	DL Holder Personal Details :
	Driving Licence Number (DL)
	Name of the DL Holder
	Full Name of the DL Holder
	Gender
	Guardian(Mother/Father/Husband) Name
	Relation with Guardian (e.g.: S/o, W/o , D/o)
	Date of Birth (in ddmmyyyy format)
	First Identification Mark
	Second Identification Mark
	Blood Group
	Mobile Number
	Email Id
	Alternate Mobile Number
	Emergency Contact Number
	Permanent Address
	PINCODE of Permanent Address
	State Code In Permanent Address
	District Name in Permanent Address
	Sub-division/Taluk name in Permanent Address
	Village Name in Permanent address
Present Address	
State Code in Present address	
PINCODE of Present address	
District Name in present Address	
Sub-division/Taluk Name in present Address	
Village Name in Present address	
2.	Licence details :
	Valid From (Transport) (in ddmmyyyy format)
	Valid Till (Transport) (in ddmmyyyy format)
	Valid From (Non-Transport) (in ddmmyyyy format)
	Valid From (Non-Transport) (in ddmmyyyy format)

	First Date of DL Issuance (in ddmmyyyy format)
	First (Original) Issuing Authority
	Date of Hazardous Validity (in ddmmyyyy format)
	Date of Hill Region validity (in ddmmyyyy format)
	Authority who issued Transport Authorization
	Transport Authorization Number
	Transport Authorization date (in ddmmyyyy format)
	Invalid carriage Vehicle Registration Number
	INVALID Carriage 2 nd Vehicle Registration Number , if any
	Invalid carriage 3 rd Vehicle Registration Number , if any
3.	Class of Vehicle details :
	Class of Vehicle (COV)
	Class of Vehicle Issue Date (in ddmmyyyy format)
	Class of vehicle – Issued By (Name & Designation)
	Badge No.
	Badge Issue Date (in ddmmyyyy format)
	Badge Issued by –LA Office
4.	Image details :
	Photograph of DL Holder
	Signature of DL Holder
5.	Enforcement details :
	Challan/Inward Number
	Challan Date (in ddmmyyyy format)
	Endorsement Authority ID
	Endorsement Authority Name
	Section/ Rule Violated
	Disqualification Type (Suspended/Cancelled)
	Disqualification period from (in ddmmyyyy format)
	Disqualification period Up to (in ddmmyyyy format)
	Class of Vehicle that is suspended/Cancelled
	Settlement date
	Review Date (in ddmmyyyy format)
	Review Authority Name
	Remarks .”;

(h) the “FORM 23” shall be omitted;

(i) for ‘FORM 23A’, the following ‘Form’ shall be substituted, namely: -

“FORM 23A

[See rule 48]

CERTIFICATION OF REGISTRATION (LAMINATED CARD WITHOUT CHIP OR SMART CARD)

VISUAL INSPECTION ZONE


1. (A). The design of the card on the front side shall include the following data fields in visual form –

(B). The design of the card on the reverse side shall include the following data fields in visual form.

(C). The details of the features on the card shall be as under, namely:-

(a) For front side:

(b) For reverse side:



2. Specifications.-

(a) Card Size - 85.6mm x 54.02 mm +/- 2 mm; Thickness minimum 0.7 mm							
(i) Card in the form of either laminated card type without chip; or							
as per the defined template in the form of ICC (Integrated Circuit Card) compliant to ISO/IEC 7816-Part 1, 2, 3, 4, 8 and 9, IS16695 (Part 1: 2018) Smart Card Template Architecture Part 1: Basic Command Set (commonly known as SCOSTA Contact Smart Card);							
(ii) PICC (Proximity Integrated Circuit Card) if provided, compliant to ISO/IEC 14443- Part 1, 2 3 and 4, ISO/IEC 7816- Part 4, 8 and 9, IS16695 (Part 1: 2018) Smart Card Template Architecture Part 1: Basic Command Set (commonly known as SCOSTA Contactless Smart Card), with card dimensions compliant to ISO/IEC 7810 ID-1 standard.							
(b) Font Style and Size specifications							
Front side				Reverse side			
Sr. No.	Features	Font Name	Size	Sr. No.	Features	Font Name	Size
1.	Category (NT/ TR)-XY	Myriad Pro Regular	7pt	1.	Category (NT/TR)-XY	Myriad Pro Regular	7pt
2.	State / UT Code-AB	Myriad Pro Regular	7pt	2.	State / UT Code-AB	Myriad Pro Regular	7pt
3.	Golden National Emblem	Symbol	7.37mm x 12.28mm	3.	Vehicle Class	Myriad Pro Regular	6pt
4.	Card Header	Myriad Pro Bold	8pt	4.	Vehicle Type (e.g. LMV/ HMV/HGV etc)	Myriad Pro Regular	6pt
5.	IC Chip (if opted for)	NA	NA	5.	Registration Number	Myriad Pro Regular	6pt
6.	Fuel	Myriad Pro Regular	7pt	6.	QR Code (As specified by the Central Government)	NA	15 mm x 15mm
7.	Emission Norms	Myriad Pro Regular	7pt	7.	Month & Year of Mfg.	Myriad Pro Regular	5.5pt

8.	Registration Number	Myriad Pro Bold	7pt	8.	Number of Cylinders	Myriad Pro Regular	5.5pt
9.	Date of Registration	Myriad Pro Bold	7pt	9.	Number of Axle [#]	Myriad Pro Regular	5.5pt
10.	Registration Validity* (to be printed "As per Fitness" for Transport/ Commercial vehicle)	Myriad Pro Bold	7pt	10.	Maker's Name	Myriad Pro Regular	5.5pt
11.	Chassis Number	Myriad Pro Regular	7pt	11.	Model Name	Myriad Pro Regular	5.5pt
12.	Engine /Motor Number	Myriad Pro Regular	7pt	12.	Colour	Myriad Pro Regular	5.5pt
13.	Owner Name	Myriad Pro Regular	7pt	13.	Body Type	Myriad Pro Regular	5.5pt
14.	Son/ Daughter/ Wife of (in case of Individual Owner)	Myriad Pro Regular	7pt	14.	Seating (in all) Capacity	Myriad Pro Regular	5.5pt
15.	Address	Myriad Pro Regular	7pt	15.	Standing Capacity [#]	Myriad Pro Regular	5.5pt
16.	Card Issue Date	Myriad Pro Regular	6pt	16.	Sleeper Capacity [#]	Myriad Pro Regular	5.5pt
17.	Owner Serial	Myriad Pro Regular	7pt	17.	Unladen Weight (kg)	Myriad Pro Regular	5.5pt
				18.	Laden Weight [#] (kg)	Myriad Pro Regular	5.5pt
				19.	Gross Combination Weight [#] (kg)	Myriad Pro Regular	5.5pt
				20.	Cubic Capacity (Kw)	Myriad Pro Regular	5.5pt
				21.	Horse Power (BHP)	Myriad Pro Regular	5.5pt
				22.	Wheel Base (mm)	Myriad Pro Regular	5.5pt
				23.	Financer name [#]	Myriad Pro	5.5pt
				24.	Registering Authority's Name	Myriad Pro	5.5pt
				25.	Form 23A	Myriad Pro Regular	6pt

: Both Label and Value would be blank in cases where they are not applicable or have not been opted for

(c) Background Colour Details					
Front Side			Reverse Side		
Sr. No.	Hex Code	For Print Media	Sr. No.	Hex Code	For Print Media
C1.	#44c7f1	C:60 M:0 Y:1 K:0	C1.	#44c7f1	C:60 M:0 Y:1 K:0
C2.	#f8951d	C:0 M: 49 Y:100 K:0	C2.	#f8951d	C:0 M: 49 Y:100 K:0
C3.	<u>Gradient Colour</u> Top: # e7f5f5 Bottom:#a3daf7	<u>Gradient Colour</u> Top: C:8 M: 0 Y:3 K:0 Bottom:C:33 M:1 Y:0 K:0	C3.	<u>Gradient Colour</u> Top: # e7f5f5 Bottom:#a3daf7	<u>Gradient Colour</u> Top: C:8 M: 0 Y:3 K:0 Bottom:C:33 M:1 Y:0 K:0
C4.	<u>Gradient Colour</u> Top: #ffffff Bottom:#cbe5ef	<u>Gradient Colour</u> Top: C:0 M: 0 Y:3 K:0 Bottom:C:9 M:2Y:3 K:0	C4.	<u>Gradient Colour</u> Top: #ffffff Bottom:#cbe5ef	<u>Gradient Colour</u> Top: C:0 M: 0 Y:3 K:0 Bottom:C:9 M:2Y:3 K:0

MACHINE READABLE ZONE (applicable only if opted for Smart Card)

The concerned State Governments shall provide the following features of the Registration Certificate in the Machine Readable Zone, namely:-

Sr. No.	Field
1.	Registration Details :
	Registration Number
	Registration Date (in ddmmyyyy format)
	Purchase Date (in ddmmyyyy format)
	Registration Type (N, A, O, D)
	Registration Validity (in ddmmyyyy format) (To be stored "As per Fitness" for Transport / Commercial vehicle)
	Dealer Name
	Registering Authority Name
2.	Personal Details :
	Owner Name
	Son/Wife /Daughter of (if Individual)
	Owner Current Address
	Owner Permanent Address
	Owner Serial No.
	Ownership Type
3.	Vehicle Details :
	Vehicle Class
	Maker/Manufacturer
	Model
	No. of Cylinder
	Horse Power (format 99999.99)
	Seating Capacity
	Standing Capacity
	Sleeper Capacity
	Unladen Weight (kg)
	Laden Weight (kg)
	Gross Combination Weight, if applicable (kg)
	Wheelbase (mm)
	Cubic Capacity (format 99999.99)
	Floor Area (sq m) (format 999.999)
	Fuel
	Chassis No
	Engine No
Body Type	
Colour	
Manufacturing Month & Year (mmyyyy)	

	Sale Amount
	Emission Norms
	Height (mm)
	Length (mm)
	Width (mm)
	AC Fitted (Y/N)
	Video Fitted (Y/N)
	Audio Fitted (Y/N)
4.	Axle Details of Transport Vehicle :
	Number of Axle
	Number of Tyre – Front Axle
	Number of Tyre – Rear Axle
	Number of Tyre – Tandem Axle
	Number of Tyre – Other Axle
	Front Axle (Description and Size of Tyre)
	Rear Axle (Description and Size of Tyre)
	Tandem Axle (Description and Size of Tyre)
	Other Axle (Description and Size of Tyre)
	Front Axle Weight (kg)
	Rear Axle Weight (kg)
	Tandem Axle Weight (kg)
	Other Axle Weight (kg)
	Overhang
	Rearhang
5.	Additional Details of Attached Trailer / Semi-Trailer (if applicable) :
	Number of attached Semi-Trailers
	Attached Trailer(s) Registration Mark
6.	Additional Details of Linked Horse Vehicle No. (if this RC is of Semi-Trailer/Trailer) :
	Horse Vehicle Registration Mark, if applicable
7.	Hypothecation Details*3 :
	Name of Financier
8.	Challan Details*40 :
	Challan No.
	Accused category (D – Driver, C – Conductor, O – Owner)
	Section (s) (code only with delimiter “,”, if more than 1)
	Challaning Officer Name
	Location
	Challan Date & Time in ddmmYYYY /hh-mm format
	Disposing Officer Name
	Penalty
	Receipt No.

9.	Permanent Permit Details :
	Permit Number
	Permit Type (Description)
	Permit Issuing Authority Name
	Validity From (in ddmmyyyy format)
	Validity Up to (in ddmmyyyy format)
	Replacement Date (in ddmmyyyy format)
	Area (e.g. Local, Distt, Region, State etc.)
	Route From
	Route Up to
	Stages
	Route Length (km)
	Number of Trips per day
	10.
Body Type	
Unladen Weight (kg)	
Laden Weight (kg)	
Chassis No	
Front Axle (Number, Description and Size of Tyre)	
Rear Axle (Number, Description and Size of Tyre)	
Tandem Axle (Number, Description and Size of Tyre)	
Other Axle (Number, Description and Size of Tyre)	
Front Axle Weight (kg)	
Rear Axle Weight (kg)	
Tandem Axle Weight (kg)	
Other Axle Weight (kg)	
11.	
	Kit Manufacturer
	Kit Type
	Kit Workshop
	Kit Serial Number
	Kit PUCC Norms
	Workshop License No
	Fitment Date (in ddmmyyyy format)
	Hydro Test Date (in ddmmyyyy format)
	Cylinder Serial Number .”;

- (j) for 'Annexure XI', the following 'Annexure' shall be substituted, namely: -

“Annexure XI

[see clause(s) of rule 2, rule 16 and rule 48]

I. Specifications of laminated card type without chip or Smart Card type Driving Licence and Registration Certificate. -

- (a) Integrated Circuit Card (ICC, commonly known as contact smart card) or Proximity Integrated Circuit Card (PICC, commonly known as contactless smart card).
- (b) ICC shall be compliant to ISO/IEC 7816-1, 2 and 3 while PICC shall be compliant to ISO/IEC 14443-1, 2, 3 and 4.
- (c) Both ICC and PICC shall also be compliant to ISO/IEC 7816-4, 8 and 9, IS-16695 Part I, 2018 (commonly known as SCOSTA).
- (d) Minimum 10 years data retention for the non-volatile memory in the form of EEPROM or FLASH.
- (e) Minimum 300,000 write cycles endurance for the non-volatile memory.
- (f) The hardware (controller) shall be in compliance and certified to be EAL4+ (or higher) common criteria certificate along with security target of evaluation of microcontroller (in case of ROM based OS implementation) or of the microcontroller along with Boot loader/Flash loader/Smart Program/Boot Program (in case of Flash based OS implementation) under the Common Criteria Certificate. The common Criteria Certificate refers to BSI-CC-PP-0035-2007/BSI-CC-PP-0084-2014 (or newer) Protection profile.
- (g) The operating system shall be loaded in the Flash Memory or in the ROM with the chip at wafer level in the facility fully owned by the chip manufacturer and shall be locked at that facility in a way that it cannot be altered, modified, erased or deleted either selectively or wholly.
- (h) Operating ambient temperature range -25C to +55C.
- (i) For Poly Vinyl Chloride (PVC): Glossy surface, Poly Vinyl Chloride (PVC)/Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)/PetG plastic construction, with overlay to allow colour dye sublimation printing.
- (j) For Polycarbonate Card: Multi-layered card construction using pure polycarbonate layer, fused (laminated) together with heat and pressure without any kind of glue or adhesive. Card Body material including outer overlay shall be capable of personalisation through Laser engraving.

II. Material Specifications for Driving License and Registration Certificate. -

- (a) **Dimension of the Card.**- The cards used for the Driving License and Registration Certificate shall be compliant to ISO/IEC 7810 standard as defined for ID-1 unused and returned cards. The tolerances, edge burrs etc. shall be as defined for the ID-1 cards in ISO/IEC 7810 section 5. All dimensions of the card shall be measured as per the ISO/IEC 10373-1 standard as defined in section 5.2 under the standard testing conditions as defined in ISO/IEC 10373-1.
- (b) **Card Warpage and Surface Distortion.** - The maximum distance from a flat rigid plate to any portion of the convex surface of the card shall not be greater than 1.5 mm including the card thickness. Further, the difference between the maximum and minimum thickness of the finished card shall not be more than 0.10 mm. For measuring the maximum and minimum thicknesses, the contact chip shall also be considered. Thus, no point of the entire IC contact surface shall be higher than 0.10 mm above or lower than 0.10 mm below the adjacent surface of the card. The test shall be carried out using the standard measurement method as described in ISO/IEC10373-1.
- (c) **Card Material and Construction.** - The cards shall be made of Polyvinyl Chloride (PVC), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) or PetG or Poly Carbonate (PC) plastic material unless specified otherwise. The card construction shall be made of bonded materials with inserts of the ISO7816-2 compliant contact chip (for ICC) if provided, or with inserts of the ISO14443 compliant contactless chip with associated antenna (for PICC), if provided.

(d) **Card Characteristics.** - The card characteristics shall be as defined in ISO/IEC 7810 standard as outlined here:-

- (i) **Bending Stiffness.** – (1). The bending stiffness shall be as defined in ISO/IEC 7810. The test procedures shall be as described in ISO/IEC 10373-1 section 5.7. For carrying out the bending stiffness test, the cards shall be exercised in the following four configurations, namely:-
 - (a) With the embedded chip facing upward and the edge of the card closer to the chip placed towards the clamping device.
 - (b) With the embedded chip facing upward and the edge of the card closer to the chip placed away from the clamping device.
 - (c) With the embedded chip facing downward and the edge of the card closer to the chip placed towards the clamping device.
 - (d) With the embedded chip facing downward and the edge of the card closer to the chip placed away from the clamping device.(2). The maximum permitted bending deformation shall be identical in all the four configurations.
- (ii) **Resistance to chemicals.** – Cards shall be resistant to the chemicals as described in ISO/IEC 7810 section 8.4. The chemical resistance shall be tested as per the procedure outlined in ISO/IEC 10373-1 section 5.4, using reagents both for short-term and long-term contamination.
- (iii) **Storage Requirements.** – (1). The card characteristics as defined in this section of the document shall remain unaltered for the following range of temperature and humidity as storage requirements, namely:-
 - (a) Temperature range of 5-40°C.
 - (b) Relative humidity range of 10-85%.(2). The cards shall be tested for the bending stiffness after exposing it to the following two environment conditions, namely:-
 - (I) 5°C at 10%RH, and
 - (II) 40°C at 85%RH.(3). The exposure for each of these two conditions shall be for one hour in the environment. This test only establishes the card characteristics and does not establish any print quality characteristics, which are defined later.
- (iv) **Peel Strength.** - The peel strength of the component layers of the card material shall be as per the minimum specified in ISO/IEC 7810 section 8.8. The peel strength shall be tested as per the procedure outlined in ISO/IEC 10373-1 section 5.4 with a peeling angle of 90°.
- (v) **Adhesion Resistance.** –(a) When finished cards are stacked together in a stock of 5 cards and applied 1.5 Kg dead weight from the top, kept for 7 days at $40 \pm 3^\circ\text{C}$, 80%RH, no card shall show any adverse effect such as delamination, discolouration or colour transfer to adjacent cards, changes to surface finish, transfer of material from one card to another and deformation. The physical dimension of the all cards shall remain as described in section 5 of this document.
 - (b) The cards shall be tested for easy separation by hand for randomly chosen cards in the middle of the stack and will be inspected visually for the colour transfer, discolouration, changes in the surface finish etc. The dimension of the cards, card warpage and surface distortion after each test shall be tested to be within the limits as described in this document.

- (e) **Dynamic Bending.** - The cards shall be tested for dynamic bending as per the procedure outlined in ISO/IEC 10373-1 section 5.8. The h_v and h_w parameters shall be used as defined in ISO/IEC 10373-1 (i.e. 2mm and 20mm for bending along axis B, and 1mm and 10mm for bending along axis A). The cards shall continue to work electronically after the test is performed with 250 bending each along axis A and axis B and with card contacts facing upwards as well as downwards. The cards shall be tested after the cycle of 1000 bending tests for the following, namely:-
- (i) The dimensions of the card.
 - (ii) Card warpage and surface distortion.
 - (iii) The presence of Answer to Reset (ATR) or Answer to Select (ATS) sequence after insertion in the ISO7816-3 compliant interface device (IFD) or ISO14443-4 compliant proximity coupling device (PCD), as the case may be.
 - (iv) The contact resistance being within the limits for all contact pads for an ICC.
- (f) **Dynamic Torsional Stress.**-The cards shall be subjected to dynamic torsional stress test as outlined in ISO/IEC 10373-1 section 5.9. The parameters shall be as defined in ISO/IEC 10373-1. After the cycle torsional stress application, the cards shall be tested for the following, namely:-
- (i) The dimension of the card.
 - (ii) Card warpage and surface distortion.
 - (iii) The presence of Answer to Reset (ATR) or Answer to Select (ATS) sequence after insertion in the ISO7816-3 compliant interface device (IFD) or ISO14443-4 compliant proximity coupling device (PCD), as the case may be.
 - (iv) The contact resistance being within the limits for all contact pads for an ICC.
- (g) **Stability against UV Exposure.**-The pre-printed layers of the card material shall show no visible degradation of the print quality under the following conditions, namely:-
- (i) Exposure to UV lighting for 21 minutes at UV irradiance of 0.12 mW/mm² at 254nm wavelength.
 - (ii) The cards shall be exposed to such UV light source as per the testing procedure defined in ISO/IEC 10373-1 section 5.11. After the exposure cycle, the cards shall be tested for the following, namely:-
 - (a) The dimension of the card.
 - (b) Card warpage and surface distortion.
 - (c) Bending stiffness test.
 - (d) The contact resistance being within the limits for all contact pads for an ICC.
 - (e) Visual print quality for the pre-printed layers, which shall not show any visible degradation, discolouring, change of surface finish or delamination.
- (h) **Print Quality.** – (a) The print shall be verified for the visual appearance of the pre-printed layers, which must not show any visible degradation, discolouring, change of the surface finish, change of the surface colours, and presence of visible unwanted colour marks under the following conditions, namely:-
- (i) Temperature of 0°C with a relative humidity of 10%.
 - (ii) Temperature of 46°C with a relative humidity of 90%.
- (b) The temperature and relative humidity shall be established in the environment control chambers and the cards shall be exposed for 20 minutes in the corresponding environment condition. After the exposure, the card shall be visually inspected for the print quality on the pre-printed layers of the card material.

- (i) **Electrical Contacts (applicable for ICC, or contact smart cards only).** – (1). The cards shall provide the following contacts at location as defined in ISO/IEC 7816-2, namely:-
- (i) C1: supply power input (VCC).
 - (ii) C2: reset signal input (RST).
 - (iii) C3: clock signal input (CLK).
 - (iv) C5: ground (GND).
 - (v) C7: bidirectional serial data (I/O).
- (2). The maximum and minimum currents and potential on each of these contacts are as defined in ISO/IEC 7816-3.
- (j) **Mechanical Strength of Card Contacts (applicable for ICC, or contact smart cards only).** –
- (i) The card should resist damage to its surface, to any components contained in it, and should remain intact during normal use, storage and handling.
 - (ii) Each contact surface and contact area (entire galvanic surface) shall not be damaged by a working pressure equivalent to a steel ball of diameter 1 mm applying a force of 1.5 N.
 - (iii) The test shall be carried out by applying the pressure as mentioned above for 5 minutes and checked for card being functional for the presence of ATR in an ISO7816-3 compliant reader.
- (k) **Electrical Resistance of Card contacts (applicable for ICC, or contact smart cards only).** - The contact resistance of a card contact pad as defined in ISO/IEC 7816-2 should be less than 0.5 Ω between two points on the same contact pad at a distance of 1.5mm. The card shall be tested for all the five contacts as specified in section 13 of this document at random locations within the contact.

III. **Specifications for Printing on the finished card surface.** –(a) **Printing Requirements on finished cards.** - The finished cards shall be as per the specifications outlined in this document. The finished cards shall then be subjected to personalisation – electronic as well as visual on the card surfaces. Typically, dye sublimation printing is used for visual personalisation. These tests shall be performed after printing on the card surfaces – both bottom as well as top, using the standard card printers being used in the field for visual personalisation. The printing of text and photograph for the testing shall be as typical of any driving license and vehicle registration certificate and as specified in the visual layout for the same.

(b) **Ink Adhesion.** - (i) The personalised printing on the cards shall show good quality ink adhesion as indicated below. (Ref: IPC-TM-650 Test Method Number 2.4.1 for Adhesion Tape testing).

(ii) With the tape and procedure as described in the test method, the evaluation shall be carried out. The visual examination of the tape used for the testing and the test area of the substrate will be carried out for the ink adhesion performance of the specimen in the following grades, namely:-

Grade 1: No removal of ink (tape will not show any marking of the ink when peeled off).

Grade 2: Slight removal of ink (tape will show markings of the ink but the ink impressions on tape adhesive side will not be readable) amounting to <10% of ink removal.

Grade 3: High removal of ink (the ink impression on the tape adhesive side will be readable) amounting to more than 10% of ink removal.

(c) **Exposure to the environmental parameters.** - (i) The visually personalized cards shall be tested for ink adhesion after exposing it to the following two environment conditions, namely:-

(A) 5°C at 10%RH; and

(B) 40°C at 85%RH.

- (ii) The exposure for each of these two conditions shall be for one hour in the environment and the ink adhesion test will be performed immediately after the exposure. The specimen shall show Grade 1 quality for both tests.
- (d) **Exposure to UV.** - The visually personalised cards shall be exposed to UV lighting for 21 minutes at UV irradiance of 0.12 mW/mm² at 254nm wavelength as per the testing procedure defined in ISO/IEC 10373-1 section 5.11. Immediately after the exposure cycle, the visual personalisation shall be tested for the ink adhesion. The specimen shall show Grade 2 or Grade 1 quality for the test.
- (e) **Stacking and layering.** – When visually personalised cards are stacked together in a stock of 5 cards and applied 1.5 Kg dead weight from the top, kept for 2 days at 40 ± 3°C, 80% RH, no printing on the card surfaces shall show any adverse effect discolouration or colour transfer to adjacent cards. The cards after subjecting to this test shall be tested for ink adhesion. The specimen shall show Grade 1 quality for the test.”.

[F. No. RT-11028/24/2016-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification G.S.R. 1225(E), date 20.12.2018.